5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत 5 रु. भारत पाँच रुपये 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

(73)

न्यायालय मान० राजस्व मण्डल,म०प्र० ग्वालियर

प्र०क्र० अपील/शिवपुरी/भू.रा./2018/
अपील– 5007/2018/शिवपुरी/भू.रा.

इन्दर मल पुत्र मूला सहरिया
निवासी ग्राम खाडा सहरौल
तहसील शाहवाद जिला बारा
राजस्थान ---अपीलांट

श्री जी.पी.नायक एड. द्वारा आज दि० 14.8.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20.8.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा
कलेक्टर जिला शिवपुरी ---रिस्पाण्डेन्ट

(अपील अंतर्गत धारा 44, मध्य–प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959– कलेक्टर जिला शिवपुरी व्दारा प्र.क. 12 अ–21/14–15 में पारित आदेश दिनांक 31–3–2018 के विरुद्ध)

14.8.18 G.P. Nayak Adv.

अपील प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

महोदय,

यह कि अपीलांट ग्राम मुढ़ेरी तहसील शिवपुरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 616, 644, 645, 646, 751, 755, 756, 1846,1899 कुल किता 9 कुल रकबा 2–060 है. का रिकार्डेड भूमिस्वामी है।

C.A. office Received 14/8/18

उक्त भूमि शासन से पटटे पर प्राप्त नहीं है, पैत्रिक नहीं है अपितु अपीलांट व्दारा कय की गई भूमि है। अपीलांट के पास ग्राम खाडा सहरौल तहसील शाहवाद जिला बारा राजस्थान में अधिक कृषि भूमि है जहां रहकर अपीलांट खेती करके अपने वाल–बच्चों का पालन पोषण करता है। ग्राम मुढ़ेरी तहसील शिवपुरी की भूमि अपीलांट के लिये लाभकारी नहीं है क्योंकि अपीलांट को भूमि बटाई/ठेके पर देना पड़ती है एंव ठेका लेने वाले अथवा बटाईदार फसल उजड़ना, नुकसान होना बताकर ठेके की पूर्ण राशि नहीं देते हैं, अपीलांट ने सहरिया आदिवासी होने के कारण कलेक्टर जिला शिवपुरी को आवेदन देकर भूमि विकय अनुमति दिये जाने की मांग की, जिस पर अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अपील 5007/2018/शिवपुरी/भूरा .

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.12.18	अपीलार्थी अधिवक्ता श्री जी0 पी0 नायक उपस्थित। प्रत्यर्थी शासन के अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण को इस न्यायालय में प्रचलनशीलता पर आपत्ति की। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में कलेक्टर जिला शिवपुरी के प्र0 क0 12/अ–21/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 31/03/18 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत करना था। 3– अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में चलने योग्य न होने के कारण निरस्त की जाती है। अपीलार्थी अधिवक्ता चाहे तो मूल दस्तावेज प्राप्त कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। सदस्य	